न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
आँगनवाड़ी वाद संख्या–31/2016
शिव कुमारी –बनाम– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
27/08/2019	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत आँगनवाड़ी अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 369/जि0प्रो0 दिनांक 03.02.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसे सामान्य अनुक्रम में प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित पक्षकार को सूचना निर्गत करने तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।। तदालोक में प्रत्यर्थी सं0–02 रेखा कुमारी इस वाद में उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किये हैं तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दरभंगा के पत्रांक 96/जि0प्रो0 दिनांक 10.01.2019 से प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–78 वार्ड नं0–20 का बाहुल्य वर्ग अल्पसंख्यक है, जिसके आँगनवाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु अपीलार्थी एवं अन्य के द्वारा आवेदन दिया गया। अल्पसंख्यक वर्ग से एक आवेदिका मुसर्रफ जहाँ ने आवेदन दिया, जो पोषक क्षेत्र के बाहर की थी। जिस कारण उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। विभागीय निदेश के अनुरूप अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदिका की अनुपस्थिति में अनु0 जाति के आवेदिका का चयन होना था। अपीलार्थी एवं एक अन्य आवेदिका प्रत्यर्थी सं0–02 रेखा कुमारी अनु0 जाति की थी। प्रत्यर्थी सं0–02 रेखा कुमारी के अपने भैंसुर एवं गोतनी नियोजित शिक्षक रहने के कारण चयन समिति द्वारा आहूत आम सभा दिनांक 28.08.2013 से उनका चयन नहीं किया गया। अपीलार्थी सभी अहर्त्ता को पूर्ण करती थी इसलिए आम सभा दिनांक 28.08.2013 से चयन समिति द्वारा अपीलार्थी का चयन किया गया तथा अपीलार्थी को दिनांक 20.11.13 को चयन पत्र दिया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी के चयन कि विरूद्ध प्रत्यर्थी सं0–02 रेखा कुमारी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के समक्ष एक आँगनवाड़ी वाद सं0–100/13–14 दायर किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा सभी नियमों एवं उप नियमों को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी के चयन को निरस्त किया गया है। अपीलार्थी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 14.10.2016 के आलोक में विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि अपीलार्थी को चयन पत्र ज्ञापांक 476 दिनांक 20.11.2013 को दिया गया था। उक्त तिथि को प्रत्यर्थी	

सं0–02 के रिश्तेदार का मासिक वेतन/मानदेय 9000/- रुपया था, जो जाँच का विषय है। उक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के अपीलवाद को स्वीकार करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 369/जि0प्रो0 दिनांक 03.02.2016 को निरस्त करने की कृपा की जाय तथा अपीलार्थी को पुर्नबहाल करने की कृपा की जाय।

प्रत्यर्थी सं0–02 के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि स्पष्टः मार्गदर्शिका 2013 के कंडिका सं0–4.9 में यह तथ्य अंकित है कि:– *"संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी कर्मचारी का पदाधिकारी के रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। [रिश्तेदार से अर्थ है –माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात बड़े एवं छोट भाई की पत्नी), पुत्री, बहन] संविदा अथवा मानदेय आधारित कर्मचारी या पदाधिकारी जिनकी मासिक आय रु0 6000/- (छः हजार रूपये) या उससे कम है, उनके उपर यह कंडिका लागू नहीं होती है।"*

उक्त के आलोक में वास्तविक तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी सं0–02 रेखा कुमारी के रिश्तेदार भैंसुर किशोर महतो प्राथमिक विद्यालय हनुमाननगर (प्रखंड–अलीनगर) में नियोजित शिक्षक हैं, जिनको माह अगस्त 2013 का मानदेय 6000/- रूपया प्रतिमाह है। इसी प्रकार रिश्तेदार गोतनी रेणु कुमारी प्रा0विद्यालय, अब्दुल्लापुर, बहादुरपुर विद्यालय में नियोजित शिक्षक है जिनका अगस्त 2013 का मानदेय 6000/- रुपया है। आम सभा दिनांक 28.08.2013 को प्रत्यर्थी सं0–02 के रिश्तेदार का मानदेय 6000/- रूपया है, जिसे चयन समिति द्वारा अनदेखी की गयी और अपीलार्थी का चयन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–02 के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में एक आँगनवाड़ी वाद सं0–100/13–14 दायर किया गया। वहीं एक अन्य आवेदिका कंचन कुमारी द्वारा भी एक आँगनवाड़ी वाद सं0–116/13 दायर किया गया। दोनों वादों को समेकित कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सभी पक्षों को सुनकर अभिलेख आधारित तथ्यों के अनुरूप एक विधि–सम्मत् आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के चयन को निरस्त किये हैं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के आदेश ज्ञापांक 369/जि0प्रो0 दिनांक 03.02.2016 के आलोक में प्रत्यर्थी सं0–02 को चयन पत्र निर्गत किया गया है, जो वर्त्तमान में आँगनवाड़ी सेविका पद के सभी दायित्वों का निर्वहन कर रही है। अतः अपीलवाद को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि विभागीय मार्ग–दर्शिका पत्रांक 2897 दिनांक 10.06.2013 के कंडिका 4.9 के अनुरूप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। उक्त निदेश के आलोक में जिनकी मासिक आय 6000/- रूपया या उस से कम है, का चयन आँगनवाड़ी सेविका पद पर किया जा

सकता है। अतः विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये दलीलों के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संधारित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक 397 दिनांक 25.09.2013, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 3686 दिनांक 01.10.2013 से स्पष्ट है कि संबंधित अवधि में प्रत्यर्थी सं0–02 के रिश्तेदारों का मासिक मानदेय 6000/- रुपया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग संकल्प ज्ञापांक 1449 दिनांक 23.09.2013 से नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन में वृद्धि हुई है। मासिक नियत वेतन 6000/- रुपया से 9000/- रूपया किया गया है, जो दिनांक 01.09.2013 से प्रभावी है, जबकि कथित आम सभा 28.08.2013 से ही अपीलार्थी का चयन किया गया था, जो मार्गदर्शिका के विपरीत है।

अतः उपरोक्त साक्ष्यधारित विभागीय निदेश के अनुरूप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 369/जि0प्रो0 दिनांक 03.02.2016 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलवाद अस्वीकृत।

उक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।